न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या : 186 / 2024

उनवान:- 136-29C बनाम [illegible]

डाक द्वारा तामील करवाया, एक माह के अधिक समय हो चुका है। अतः प्रथमदृष्टया मानते हुए प्रतिवादी सं. 8 से 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी के द्वारा मौखिक पीस एण्ड क्वाइट्स प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय इस्तावेजात अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते इन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 23/5/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय,

आज दिनांक 23/5/25 को पत्रावली पेश हुई।
अभिभाषक [illegible] बहिष्कार/कार्यस्थगित [illegible] कारण,
न्यायिक कार्यवाही [illegible] ओ.स.
अन्य कार्य में व्यस्त/[illegible] पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 26/5/25 को [illegible] की।

26/05/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार सांगानेर को अपर पत्र क्रमांक 3741 दिनांक 12/05/2025 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की जो न्यायालय में दिनांक 13/05/2025 को प्राप्त होने पर आज शा०फि० की गई। वकील वादी हाजिर।

सहायक कलक्टर
जयपु. शहर द्वि...

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

दावा संख्या : 186/2021 बनाम मैसर्स

कुर्की रिपोर्ट का अवलोकन कर प्राप्त कुर्की पर अनापत्ती करते हुए अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। वादिनी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली का सब दस्तावेजात व मूलवाद तथा प्राप्त कुर्की का अवलोकन किया गया। अतः कुर्की की अनापत्ती के अभाव में प्राप्त कुर्की रिपोर्ट स्वीकार कर वादिनी का वाद विहित प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर डी कंवर से रम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय